



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फैक्स : 0755-2557452 ई-मेल : srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थं सत्यमिहा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक /नि.वि.1/स.4/सं.ले.श्रे.प/D-723


दिनांक 06.9.2021

//प्रवेश पत्र//

निम्नलिखित परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापालों को संभागीय लेखापाल श्रेणी परीक्षा सितम्बर 2021 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। उनका अनुक्रमांक उनके नाम के सम्मुख दर्शाया गया है तथा परीक्षा केन्द्र मनोरंजन संस्था कक्ष (भूतल) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम, म.प्र. 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल है।

क्रमांक	परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल का नाम	अनुक्रमांक
1	चिराग तोमर	1
2	दीपराज पाटिल	2
3	आयुष कुमार सिंह	3
4	अमन कुमार जैन	4
5	अजित कुमार	5
6	आकाश सिंह	6
7	कु. पुर्वाशी अग्रवाल	7
8	निशांत कुमार	8
9	पंकज साहू	9
10	मनीष कुमार मीना	10
11	शुभम शेखर	11
12	जलज जैन	12
13	विश्वरूप साहू	13
14	सत्यवीर सिंह यादव	14
15	आलोक कुमार श्रीवास्तव	15
16	शांकुल	16

17	प्रंशात सिंह तोमर	17
18	राकेश कुमार कडवासरा	18
19	हरीश कुमार	19
20	अभिषेक कश्यप	20
21	फैसल नफीस	21
22	शरजील ओसामा	22
23	मोहित कुमार पुण्डीर	23
24	मनीष सिंह	24


 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

//विशेष सूचना//

1. परीक्षा दि० 20.09.2021 से 24.09.2021 तक सम्पन्न होने जा रही है। परीक्षा आरंभ होने का समय सुबह 10.30 से है।
2. परीक्षा भवन परीक्षा के प्रथम दिन परीक्षा समय से आधा घन्टा पूर्व एवं अन्य दिनों में 15 मिनट पूर्व खुलेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ न रखे जिसका परीक्षा में कोई अनुचित लाभ उठाया जा सके। अनुचित सामग्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. उत्तर पुस्तिका लौटाने के पश्चात परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।
5. परीक्षार्थी को सक्षम अधिकारी/कार्यपालन यंत्री/ लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वयं के हस्ताक्षर के तीन नमूने परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्रों का उत्तर उन्ही माध्यम से लिखना होगा जिन माध्यमों को वह अपने आवेदन-पत्र में दर्शा चुका है। परीक्षा हाल में परीक्षा के माध्यम को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मूल, गणितीय कार्यो जैसे जोड, गुणा भाग आदि को करने के लिए साधारण संगणक (केलकुलेटर) का उपयोग कर सकते हैं। संगणक की व्यवस्था परीक्षार्थी को स्वयं करनी होगी एवं उसके सही होने की जवाबदारी भी परीक्षार्थी की ही होगी।